न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला– रीवा रिम्प 1504 III/14

1. अनिल कुमार द्विवेदी
2. अरूण कुमार द्विवेदी
3. विजय कुमार द्विवेदी
4. संजय कुमार द्विवेदी
5. अमित कुमार द्विवेदी

उपरोक्त पॉचों के पिता स्व. श्री शेषमणि द्विवेदी निवासी ग्राम कोलगढ़ पोस्ट नवागॉव तहसील मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रमेशकुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री राममनोहर द्विवेदी
2. रामकली पत्नि स्व. श्री राममनोहर द्विवेदी
3. जनककिशोरी उर्फ जानकी देवी पत्नि स्व. श्री शेषमणि द्विवेदी सभी निवासी ग्राम कोलगढ़ पोस्ट नवागॉव तहसील मनगंवा जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1452/IV/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, पक्षकारों एवं उनके मोरिषों के मध्य बटवारा हेतु एक व्यवहार बाद प्रस्तुत किया गया था जिसका व्यवहार बाद प्रकरण क्रमांक 106अ/65 जिसका निराकरण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रीवा द्वारा दिनांक 01.10.1965 को किया गया था उसी आधार पर पक्षकारान मुताबिक डिक्री काबिज दखल थे किन्तु राजस्व अभिलेखों में आपसी पारिवारिक सामजस्य होने के कारण कोई विवाद न होने की स्थिति में नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी थी यहॉ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि डिक्री मुताबिक पक्षकारों को स्वत्व अर्जित हो गये थे नामान्तरण की कार्यवाही मात्र फिजिकल कार्यवाही के लिये आवश्यक होती है इस कारण नामान्तरण न होने से पक्षकारों के स्वत्व पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
2. यहकि, स्वर्गीय जमुनाराम नें अपने हिस्से भूमि की वसीयत आवेदकगण के पक्ष में सशर्त की थी की जब सभी आवेदकगण बालिग हो जायें अर्थात आवेदक क्रमांक 5 वयस्क हो जाये तभी वसीयत प्रभाव में आयेगी तो नामान्तरण की कार्यवाही हो सकेगी । किन्तु वसियत कर्ता की मुत्यु के बाद ही वसीयत प्रभावी होगी तथा वसीयत कर्ता के जीवन काल से आवेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1504–तीन/14 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1452–चार/2008 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1504–तीन/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1452–चार/2008 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 03.3.2014 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1504–तीन/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य